सिक्कू जायसवाल ना[illegible]

- चार साल से रिश्ता-३ [illegible] शादी को लेकर विवाद का अंजाम

सतीश कुमार पांडेय, नरकटियागंज

अंतिम संस्कार कराते सामाजिक कार्यकर्ता.

आरोपित आशीष.

कृषि बाजार निवासी पुरुषोत्तम पटेल के बेटे संदीप पटेल से ब्याही गुड़िया पटेल की जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक हुआ. प्रकाश नगर स्थित किराये के मकान में उसकी गला दबाकर हत्या के बाद अंतिम संस्कार के दौरान पति संदीप पटेल और कथित प्रेमी आशीष उर्फ सिक्कू जायसवाल वहां नहीं दिखे. सामाजिक कार्यकर्ताओं, रिश्तेदारों और पुलिस-प्रशासन के सहयोग से गुड़िया का अंतिम संस्कार किया गया.

सामाजिक कार्यकर्ता संतोष राज के अलावा कृष्णा प्रसाद देवीलाल, बाईलाल कुमार, बब्लू गुप्ता, भोली सोनी और अर्जुन सोनी समेत अन्य लोगों ने अंतिम संस्कार में सहयोग किया. बताया गया कि गुड़िया के पति संदीप पटेल के नारायण घाट, नेपाल से नरकटियागंज पहुंचने की सूचना थी, लेकिन वह अंतिम संस्कार के दौरान वहां नजर नहीं आया. इधर, गुड़िया की मां अंजली देवी के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें चीनी मिल रोड निवासी आशीष उर्फ सिक्कू जायसवाल को नामजद किया गया है. प्राथमिकी में अंजली देवी ने आरोप [illegible] काफी थी, तो वह कथित तौर पर टालमटोल करता था.

घटना से करीब चार दिन पहले भी शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद आशीष ने गुड़िया के घर आना-जाना बंद कर दिया था. मंगलवार को गुड़िया का बेटा कुणाल अपनी नानी अंजली देवी के घर गया था. इसी दौरान आधी रात को आशीष के गुड़िया के किराये के मकान पर पहुंचने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है. थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

एक साथ पांच एमवीआइ व इएसआइ का तबादला

बेतिया. जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित दो मोटर यान निरीक्षक (एमवीआइ) और चार प्रवर्तन अवर निरीक्षक (इएसआइ) में से पांच पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है. स्थानांतरित होने वालों में एमवीआइ अतुल कुमार सिंह के अलावा ईएसआई सुनील गुंजन, संतोष रजक, श्वेता सिन्हा और जयमाला कुमारी शामिल हैं. वहीं, एमवीआइ विनोद कुमार सिंह का स्थानांतरण नहीं हुआ है. एक साथ पांच पदाधिकारियों के तबादले के बाद जिला परिवहन कार्यालय की प्रवर्तन व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है. स्थानांतरित पदाधिकारियों के स्थान पर आने वाले नए अधिकारियों को कार्यालय की कार्यप्रणाली, स्थानीय व्यवस्था और प्रवर्तन क्षेत्र को समझने में कुछ समय लगने की संभावना है. एमवीआइ और ईएसआई के जिम्मे वाहनों की फिटनेस जांच, कागजात व परमिट की जांच, ओवरलोडिंग की जांच तथा मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं. ऐसे में अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद नए पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण करने और कार्यभार संभालने तक वाहन जांच की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

लड़की ने की आत्महत्या

इनरवा. पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के सिसवनी बहुअरवा गांव में गुरुवार को पारिवारिक कलह के बीच एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया. थानाध्यक्ष कमलेश भगत ने बताया कि लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या की है.

18 लीटर विदेशी शराब व बाइक जब्त

गौनाहा. स्थानीय पुलिस ने थाना क्षेत्र के मंगलपुर चंपारण तटबंध से एक बाइक के ऊपर पर लदे 18 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है. वहीं पुलिस को पीछा करता देख तस्कर शराब व बाइक छोड़कर फरार हो गया. थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तस्कर शिकारपुर की तरफ बाइक पर शराब की खेप लेकर मनकटवा के तरफ से गुजरने वाला है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम को दिशा निर्देश दिया गया. टीम मनकटवा चौतरवा चौक पहुंचकर तस्कर की निगरानी में जुट गई. जैसे वह मनकटवा के तरफ आया कि पुलिस ने उसका पीछा किया. वह पुलिस को देख बाइक व शराब लेकर मंगलपुर की तरफ भागा. जहां पुलिस से घिरता देख मंगलपुर चंपारण तटबंध पर बाइक व शराब छोड़ कर फरार हो गया. तलाशी के दौरान बैग से अठारह लीटर ट्रेटा पैक बरामद किया गया.

कार्यालय दी-रहिका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, मधुबनी

निबंधन संख्या 6/29-1909

आम सूचना

सादर सूचित किया जाता है कि दी रहिका सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. मधुबनी की साधारण वार्षिक आम सभा दिनांक 26.09.2026 तदनुसार शनिवार को दिन के 11 बजे पूर्वाह्न में चन्द्रा कॉम्प्लेक्स, राँटी-मधुबनी रोड में आयोजित की गयी है. जिसमें बैंक से संबद्ध सभी पैक्सों के अध्यक्ष, बुनकर समिति के अध्यक्ष, व्यापार मंडल सहयोग समिति के अध्यक्ष, मत्स्य सहयोग समिति के अध्यक्ष एवं अन्य विशेष प्रकार के समितियों के अध्यक्ष निश्चित रुप से भाग लेने का कष्ट करेंगे. सभी अध्यक्ष अपना निबंधन दिन के दस बजे से ही कराना सुनिश्चित करेंगे.

रमण कुमार सिंह
अध्यक्ष
दी रहिका सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि., मधुबनी

सुदर्शन कुमार
प्रबंध निदेशक
दी रहिका सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि., मधुबनी

[illegible] सेवा करने हेतु दिनांक [illegible]

2. [illegible] 8.10.2026 तक ऑनलाइन [illegible] किया जाता है। इस निर्धारित अवधि में मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान समिति की वेबसाइट https://intermediate.biharboardonline.com से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भर सकते हैं।

3. **शुल्क दिनांक 08.10.2026 तक ही जमा किया जाता है:-** उक्त निर्धारित अवधि (**दिनांक 25.09.2026 से 09.10.2026**) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण/अनुमति आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र **दिनांक 08.10.2026 तक की अवधि में ही जमा किए जाएँगे** तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया गया है, उनका सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन **दिनांक 09.10.2026 तक की अवधि में भरा जाएगा।**

4. किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन छूट गया है तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित **तिथि 08.10.2026** के बाद अगले दिन अर्थात **दिनांक 09.10.2026 तक** ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।

5. **उक्त हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग-अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं :-**

(i) नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 18 से 36 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

(ii) स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

6. **इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण/अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।**

7. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

8. **यदि विद्यालय का U-DISE+Code एवं छात्र/छात्राओं का अपार आई०डी० (APAAR ID) आवंटित है, तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन प्रपत्र के यथा निर्दिष्ट स्थल पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी।**

9. सत्र 2022-24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा—सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाईल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टी०ज (IT/ITes) ट्रेड के पठन पाठन की शुरूआत की गयी है, जिसकी सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐच्छिक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संवर्ग के अंतर्गत होगा।

9.1 वैसे चिन्हित +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बशर्ते कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (interchange/swap) नहीं किया जाएगा।

9.2 राज्य/जिला के अन्य +2 विद्यालय, जो व्यावसायिक ट्रेड के पठन-पाठन हेतु चिन्हित नहीं हैं, के विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त कंडिका 9 में अंकित ट्रेड का चयन नहीं किया जाएगा।

10. राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का आवेदन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन उपरोक्त अवधि में भरा जाएगा।

11. सत्र-2026-28 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

12. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी तत्परता के साथ सत्र-2026-28 के सभी अध्ययनरत वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

13. विज्ञप्ति संख्या— पी०आर० 201/2026 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

14. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाईन नंबर—0612-2230039, 7488807882 अथवा E-mail ID: bsebinterhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

विज्ञप्ति संख्या— पी०आर० 219/2026

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
[illegible] "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय, बलुआटाल, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण-845401

परिशिष्ट-IV-A (नियम 8(6) का परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता एवं गारंटर को, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित है, जिसका **भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा** सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है जिसे उधारकर्ता एवं गारंटर से सुरक्षित लेनदारों के बकाया की वसूली के लिए **दिनांक 27.10.2026** को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों के विवरण के सामने आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा प्रदर्शित की गई है।

क्र. सं.	शाखा	उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना राशि/बकाया	अचल संपत्ति का विवरण कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	जोगापट्टी	मेसर्स प्रेम प्रकाश संग्रह- प्रोप-प्रेम प्रकाश प्रसाद (आवेदक) शीला देवी पति उपेंद्र प्रसाद (गारंटर) उपेन्द्र प्रसाद पिता स्व० [illegible] (गारंटर)	₹. 3,28,857.00 (रुपये तीन लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) दिनांक 17.01.2024 तक + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क।	1. **संपत्ति का साम्यिक बंधक (भूमि एवं भवन)** श्री उपेंद्र प्रसाद पिता स्व० [illegible] एवं श्रीमती शीला देवी पति उपेंद्र प्रसाद के नाम पर विक्रय डीड संख्या 7065 दिनांक 30.05.2001 स्थित मौजा - [illegible], जिला - पश्चिम चंपारण, खाता संख्या-21, खेसरा संख्या- 336, थाना संख्या- 20, [illegible] रकबा-7 धुर **सेल डीड के अनुसार चौहद्दी:** उत्तर - [illegible], दक्षिण - [illegible], पूर्व - [illegible], पश्चिम - [illegible] **कब्जे का प्रकार - भौतिक**	₹. 4,50,000.00 ₹. 45,000.00 ₹. 10,000.00
				2. **संपत्ति का साम्यिक बंधक (भूमि एवं भवन)** श्री उपेंद्र प्रसाद पिता स्व० [illegible] एवं श्रीमती शीला देवी पति उपेंद्र प्रसाद के नाम पर, सेल डीड संख्या 7913 दिनांक 30.05.2006 स्थित - मौजा-[illegible], जिला-पश्चिम चंपारण, खाता संख्या-21 खेसरा संख्या-336 थाना संख्या-20 [illegible] रकबा-12 धुर **डीड के अनुसार चौहद्दी-** [illegible] **आम चौहद्दी वर्तमान-** [illegible] **कब्जे का प्रकार - भौतिक**	₹. 7,43,,000.00 ₹. 74,300.00 ₹. 10,000.00
2.	[illegible]	श्री चन्द्र किशोर कुमार पिता [illegible] एवं श्रीमती आशा सिंह पिता चन्द्र किशोर कुमार	₹. 13,39,676.00 (रुपये तेरह लाख उन्तालीस हजार छह सौ छिहत्तर मात्र) दिनांक 02.06.2022 तक + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क।	1. पहली संपत्ति- **संपत्ति का साम्यिक बंधक (भूमि एवं भवन)** श्रीमती आशा सिंह पति चंद्र किशोर कुमार के नाम पर विक्रय सेल डीड संख्या 17692/2007 स्थित मौजा-[illegible], थाना - [illegible], खाता संख्या 164, तौजी 1326, थाना संख्या 1679, जिला पूर्वी चंपारण, [illegible] रकबा 0-0-13 (13 धुर) **1. सेल डीड के अनुसार** - [illegible] 2. दूसरी संपत्ति- **संपत्ति का साम्यिक बंधक (भूमि एवं भवन)** श्रीमती आशा सिंह पति चंद्र किशोर कुमार के नाम पर विक्रय सेल डीड संख्या 9485/2008 स्थित मौजा-[illegible], थाना - [illegible], खाता संख्या 164, तौजी 1307, थाना संख्या 1679, जिला पूर्वी चंपारण, [illegible] रकबा 0-0-7 (7 धुर) **2. डीड के अनुसार:** [illegible] **कब्जे का प्रकार - सांकेतिक**	₹. 47,25,000.00 ₹. 4,72,500.00 ₹. 10,000.00

सुरक्षित आस्तियों को ज्ञात भार: बैंक को ज्ञात नहीं

गन्ना उद्योग विभाग
बिहार सरकार

गन्ना यंत्रिकरण योजना 2026-27

गन्ना किसानों से विशेष अपील

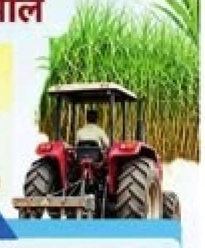

योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।

परमिट प्राप्त कर चुके किसान निर्धारित समय के भीतर यंत्र की खरीद अवश्य करें।
समय पर खरीद नहीं करने पर परमिट निरस्त हो सकता है।

समूह आवेदन के लिए महत्वपूर्ण सूचना

समूह आवेदन की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित 06 यंत्र आवश्यक हैं:

1. गन्ना कटर प्लांटर (दो कतार)
2. ट्रैक्टर चालित ट्रेंचर (दो कतार)
3. रैटून मैनेजमेंट डिवाइस
4. ट्रैक्टर चालित रोटा/डिस्क रिजर
5. ट्रेंच प्लांटर (कटर टाइप)
6. डबल पिट डिगर

नोट: इन यंत्रों के बिना समूह का आवेदन निरस्त हो सकता है।

यन्त्र बैंक हेतु आवेदन कर चुके समूहों के लिए

आवेदन में 25 सितम्बर 2026 तक सुधार कर आवेदन पूर्ण करें।
पूर्ण आवेदन वाले समूहों को दोबारा आवेदन/सुधार करने की आवश्यकता नहीं है।

PR No. 012519 (Sugarcane)D 2026-27